



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276178
CG-DL-E-14092026-276178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948

No. 740]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2026

सं. 22/2026-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 808(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 73/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 दिसम्बर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 867(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3. पैराग्राफ 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले निरसित, अधिक्रमित या संशोधित न कर दिया जाए, 16 मार्च, 2027 तक और उस दिनांक को सम्मिलित करते हुए प्रवृत्त रहेगा।”

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/248/2021-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 73/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 दिसम्बर, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 867(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2026

No. 22/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 808(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 73/2021-Customs(ADD), dated the 17th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 867 (E), dated the 17th December, 2021, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 16th March, 2027, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. CBIC-190354/248/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 73/2021-Customs (ADD), dated the 17th December, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 867(E), dated the 17th December, 2021.